राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

सतर्कता समितियां और शिकायत निवारण व्यवस्था

एक प्रवेशिका

प्रस्तुतिकरण

विकास संवाद, भोपाल

सूचना सहयोग एवं मार्गदर्शन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश

इस पुस्तिका में क्या है ?

पृष्ठभूमि और यह पुस्तिका क्यों?

मुख्य प्रावधान

एक - सतर्कता समितियां एवं निगरानी व्यवस्था

दो - शिकायत निवारण व्यवस्था

- उचित मूल्य दुकान स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों का निराकरण
- राज्य खाद्य आयोग

तीन - लोक सेवा गारंटी

चार - सूचना का अधिकार

पृष्ठभूमि

पर्याप्त भोजन एवं पोषण हर एक नागरिक का हक है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए नागरिकों की मांग के अनुरूप भारत सरकार ने समाज के बड़े हिस्से (दो तिहाई नागरिकों) को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 सितम्बर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया.

इस कानून से करोड़ों लोगों को खाद्य सुरक्षा का हक मिला है. इस क़ानून में बच्चों, परिवार और गर्भवती-धात्री महिलाओं की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किये गए हैं.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अब पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान से राशन पाने का कानूनी हक है; साथ ही सरकारी-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनवाड़ी में बच्चों को गरम पका भोजन और 3 साल से छोटे बच्चों को घर के लिए राशन देने का प्रावधान किया गया है. इस कानून के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ भी दिये जाने की बात कही गयी है.

यह पुस्तिका क्यों?

अधिनियम बन जाना तो एक बात है, इसे बेहतरी से लागू करना बड़ी चुनौती है. हमें इस कानून के सभी प्रावधानों को सभी गांव और शहरी क्षेत्रों में मिलकर ठीक ढंग से लागू करना होगा एवं इसकी निरंतर देखरेख भी करना होगी यानि हमें इस अधिनियम के जरिये मिले अधिकारों की निरंतर समीक्षा और मूल्यांकन मिलकर करना जरुरी है.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सामुदायिक निगरानी और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए चार स्तरों पर सतर्कता समितियों और सामाजिक संपरीक्षा की व्यवस्था की गई है. इस पुस्तिका के माध्यम से हम सतर्कता समिति के ढाँचे, भूमिका और प्रक्रिया एवं शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे समझ बना सकते हैं.

अधिनियम का मकसद

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून की प्रस्तावना में लिखा गया है कि "खाद्य सुरक्षा कानून मानव जीवन चक्र पर आधारित है. इसका उद्देश्य लोगों को जीवन जीने के लिए उस कीमत पर, जो उनके सामर्थ्य में हो, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन और पोषण सुरक्षा देना है, ताकि लोग सम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन-यापन कर सकें."

मुख्य प्रावधान

सभी को पोषण सहित खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिलाने के सोच से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चार योजनाओं को शामिल किया गया है –

1. शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान से सस्ता अनाज

क. **प्राथमिक श्रेणी -** प्राथमिकता वाले परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने सस्ती कीमत (चावल 3 रु. किलो, गेहूं 2 रु. किलो, बारीक अनाज 1 रु. किलो) पर 5 किलो अनाज राशन दुकान से उपलब्ध कराया जायेगा. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चावल, गेहूं एवं बारीक अनाज 1 रु किलो ही दिया जायेगा.

ख. **अन्त्योदय श्रेणी -** अन्त्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह 1 रु किलो की दर पर उपलब्ध होगा.

2. एकीकृत बाल विकास सेवाएं

क. **गर्भवती और धात्री महिलायें -** प्रत्येक गर्भवती महिला एवं धात्री माताओं को गर्भधारण के समय से लेकर बच्चे के जन्म के 6 माह तक आंगनवाड़ी से घर ले जाने के लिए 600 कैलोरी और 18-20 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा.

ख. **6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे -** 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को घर ले जाने के लिए 500 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा.

ग. 3-6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर 500 कैलोरी और 12-15 ग्राम प्रोटीनयुक्त नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन दिया जायेगा.

घ. आंगनवाड़ी द्वारा संबंधित क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान की जायेगी.

ङ. कुपोषित बच्चों को घर ले जाने के लिए 800 कैलोरी और 20-25 ग्राम प्रोटीनयुक्त पूरक पोषाहार दिया जायेगा.

च. **आंगनवाड़ी व्यवस्था -** प्रत्येक आंगनवाड़ी में रसोईघर की सुविधा होगी और पीने का स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध करवाया जायेगा.

3. शासकीय स्कूलों में मध्यान्ह भोजन

क. सभी सरकारी/स्थानीय निकायों/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन, कक्षा 6 से 8 कक्षा तक के बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीनयुक्त गर्म पका भोजन स्कूल में छुट्टी के दिनों को छोड़कर हर रोज मुफ्त दिया जायेगा.

ख. प्रत्येक स्कूल में रसोईघर, पीने का साफ पानी, शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा.

ग. जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों में केन्द्र सरकार के मापदंडों पर केन्द्रीयकृत रसोई से मध्यान्ह भोजन दिया जा सकता है.

4. प्रधानमन्त्री मातृत्व वंदना योजना

क. गर्भवती/धात्री महिलाओं को मातृत्व लाभ; मातृत्व लाभ के रूप में हर गर्भवती/धात्री महिला को कम से कम 6000 रु. का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गयी योजना के तहत दिया जायेगा.

कौन हैं प्राथमिक श्रेणी के परिवार?

1. मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक. 2. अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में रहने वाले बच्चे. 3. गांवों में मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूर. 4. शहरों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति. 5. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत घरेलू कामकाजी महिलाएं. 6. रेलवे के पंजीकृत कुली. 7. बन्द पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक (उन्हीं पूर्व नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित किया जाना है, जिनमें श्रमिकों के भुगतान निराकरण न होने के कारण लंबित हैं). 8. समस्त भूमिहीन कोटवार- (वे सभी कोटवार जो भूमि स्वामी के रूप में धारण किए जाने वाली भूमि की गणना कर भूमिहीन की श्रेणी में आते हों). 9. नगरीय निकायों में पंजीकृत केश शिल्पी. 10. एचआईवी (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से योजना का लाभ लेना चाहते हों). 13. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही. 13. निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन. 13. ग्रामीण क्षेत्र में वनाधिकार पट्टेधारी. 14. मत्स्य पालन के लिए बनी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्य और उनके परिवार. 15. वे परिवार, जिनकी 50% फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो गयी हो. 16. शहरी क्षेत्रों में हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति. 17. शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत फेरीवाले (स्ट्रीट वेन्डर). 18. मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी. 19. बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम 1972 अंतर्गत परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक. 20. कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी. 21. पंजीकृत बहुविकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति. 22. सहकारी समितियों के अंतर्गत पंजीकृत मत्स्य पालन करने वाले (मछुआरे) परिवार/सदस्य. 23. समस्त बीपीएल सूची में शामिल परिवार. 24. समस्त अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार. 25. मध्यप्रदेश में निवासरत आयकर न देने वाले समस्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार. 26. आयकर भुगतान न करने वाले चालक / परिचालक

एक - सतर्कता समितियां एवं निगरानी व्यवस्था

अधिनियम बन जाने और लागू हो जाने से खाद्य सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होने में मदद मिलेगी, पर इसे निरंतर रूप से पूरी गुणवत्ता के साथ बनाये रखना जरुरी है. अतः अधिनियम के द्वारा बनायीं गयी व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और राशन दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है ताकि गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके और लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

सतर्कता समितियां

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य लोगों को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिल सके. इसी बात को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला, विकासखंड और उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान किया गया है.

इस प्रावधान के जरिये हम खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में समुदाय की भागीदारी को अधिक सशक्त और मजबूत बना सकते हैं और योजना के क्रियान्वयन को ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बना सकते हैं.

यह समितियां कानून के तहत संचालित योजनाओं की निगरानी करेंगी और कोई भी समस्या या शिकायत होने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी या राज्य खाद्य आयोग को अवगत कराने की जिम्मेदारी भी निभाएंगी.

1. राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित सुविधाओं और सेवाओं की राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है. इस समिति की संरचना और स्वरुप निम्न है -

- अध्यक्ष – मंत्री (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश सरकार)
- सदस्य – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, महिला और बाल विकास विभाग (महिला सशक्तिकरण) के आयुक्त, स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक, मध्यान्ह भोजन योजना के संचालक और सर्वोच्च न्यायालय में आयुक्तों के खाद्य सुरक्षा मामलों में राज्य सलाहकार
- विभागीय मंत्री द्वारा नामांकित 2 प्रतिनिधि
- सदस्य सचिव – आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
- समिति की बैठक हर तीन माह में एक बार होगी.

राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के गठन एवं उसके कामकाज की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शासन

द्वारा जारी किये जायेंगे.

2. जिला स्तरीय सतर्कता समिति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि जिला स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुविधाओं और सेवाओं की देखरेख हो सके. इस समिति की संरचना और स्वरुप निम्न है -

- अध्यक्ष - प्रभारी मंत्री द्वारा मनोनीत जिले के अनुसूचित जाति / जनजाति / महिला विधायक
- सदस्य – आयुक्त, नगर पालिका निगम, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उपायुक्त/सहायक आयुक्त, जिला पंजीयक सहकारी समितियां, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, उपनियंत्रक, विधिक माप, जिला शिक्षा अधिकारी, जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामंकित 2 प्रतिनिधि
- सदस्य सचिव – जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अपर कलेक्टर, जिसके पास जिला शिकायत निवारण अधिकारी के काम की ज़िम्मेदारी न हो.
- समिति की बैठक हर दो माह में एक बार होगी.

जिला स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन एवं उसके कामकाज की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किये जायेंगे.

3. विकासखंड स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य स्तर पर सतत निगरानी करने के लिए विकास खंड स्तरीय सतर्कता समितियों का प्रावधान किया है ताकि विकास खंड स्तर पर कानून के तहत निर्धारित सुविधाओं और सेवाओं की देखरेख हो सके. इस समिति की संरचना और स्वरुप निम्न है -

- **अध्यक्ष** - जनपद पंचायत अध्यक्ष
- **स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि सदस्य** – जनपद पंचायत की सहकारिता एवं उद्योग स्थायी समिति के अध्यक्ष, विकासखंड मुख्यालय की नगरीय निकाय के सामान्य प्रशासन विभाग के सदस्य, जनपद अध्यक्ष द्वारा नामित दो महिला सरपंच
- **हितग्राही सदस्य** – जनपद पंचायत द्वारा मनोनीत जनपद मुख्यालय के 2 अन्त्योदय श्रेणी के हितग्राही, जनपद एवं विकासखंड मुख्यालय के एक-एक प्राथमिकता श्रेणी के हितग्राही.
- **जन प्रतिनिधि एवं नागरिक प्रतिनिधि सदस्य –** विधायक द्वारा नामांकित 2 विधायक प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 सदस्य और सक्रिय स्वेच्छिक उपभोक्ता संगठन का 1 सदस्य
- **शासकीय सदस्य** - विकासखंड नगरपालिका / नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी, महिला बाल विकास

परियोजना अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, सदस्य सचिव - जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी

समिति के मनोनीत सदस्यों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं हों एवं अजा, अजजा, निराश्रित या निशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो. सदस्य गैर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 65 वर्ष से कम उम्र के हों एवं कम से कम 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की हो. आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों के परिवारों और शिक्षक पालक संघ का प्रतिनिधित्व हो.

- समिति के गठन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा स्थानीय निकायों एवं हितग्राही सदस्यों के नाम जनपद पंचायत अध्यक्ष, विधायक प्रतिनिधि का नाम स्थानीय विधायक से प्राप्त करेंगे. इस तरह बनायी गयी समिति का प्रस्ताव जनपद पंचायत की साधारण सभा में सबकी जानकारी हेतु रखा जायेगा.
- जनपद पंचायत की साधारण सभा द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की जानकारी जनपद अध्यक्ष, स्थानीय विधायक, कलेक्टर द्वारा नामंकित व्यक्तियों के पत्र के साथ समिति का प्रारूप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करेंगे.
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा विकासखंड स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति के गठन के आदेश निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जारी किये जायेंगे. इसे विभागीय पोर्टल पर भी हर सदस्यों के विवरण मोबाईल नम्बर सहित दर्ज किया जायेगा.
- यह समिति 5 साल के कार्यकाल के लिए होगी, पर निर्वाचित प्रतिनिधि उनके निर्वाचन काल तक ही सदस्य होंगे. समिति की बैठक हर माह में एक बार होगी. बैठक के लिए कोरम एक तिहाई सदस्यों का रहेगा.
- विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा विकास खंड स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना की देखरेख, निरीक्षण, योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में क्षेत्र में जाकर लोगों से पूंछतांछ करके प्रतिपुष्टि की जा सकेगी.
- यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की गंभीर शिकायत अथवा अनियमितता, गबन आदि के मामले सामने आते हैं तो समिति ऐसी शिकायतों या मामलों को लिखित या बेबसाईट पर दर्ज करके जिला शिकायत अधिकारी को अपनी अनुशंसा का साथ भेजेगी.

(क्रमांक एफ 7-21 (3-4)/2017/29-1 दिनांक 26 सितम्बर 2018, मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय परिपत्र क्रमांक 3)

4. उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर एक सतर्कता समिति होगी. समिति सदस्यों का चयन ग्रामसभा में होगा यानि सदस्यों के नामों हेतु ग्रामसभा में प्रस्ताव रखा जायेगा और अनुमोदन लेना होगा. इन समितियों में निम्न सदस्य होंगे –

उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति का गठन

समिति	**ग्रामीण क्षेत्र**	**नगरीय क्षेत्र**
अध्यक्ष	ग्राम पंचायत सरपंच – जहाँ उचित मूल्य की दुकान संचालित है	उस वार्ड के पार्षद, जहाँ दुकान है.
सह-अध्यक्ष	यदि दुकान से एक से अधिक पंचायतों के लोगों को राशन मिलता है, तो अन्य पंचायतों के सरपंच समिति के सह-अध्यक्ष होंगे.	यदि दुकान एक से ज्यादा वार्ड कवर करती है, तो दूसरे वार्डों के पार्षद समिति के सह-अध्यक्ष होंगे.
सदस्य	**चार सदस्य** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त श्रेणी के बी पी एल कार्डधारक, अन्त्योदय (अनारक्षित) के हितग्राही में से प्रत्येक से एक-एक हितग्राही **चार सदस्य** - प्राथमिकता श्रेणी के 4 हितग्राही **दो सदस्य**- सरपंच द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि *कुल 10 सदस्यों में से आधी यानि 5 महिलाएं होंगी.*	**चार सदस्य** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त श्रेणी के बी पी एल कार्डधारक, अन्त्योदय (अनारक्षित) के हितग्राही में से प्रत्येक से एक-एक हितग्राही **चार सदस्य** - प्राथमिकता श्रेणी के 4 हितग्राही **दो सदस्य**- पार्षद द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि *कुल 10 सदस्यों में से आधी यानि 5 महिलाएं होंगी.*
सचिव	सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव	वार्ड का प्राधिकृत अधिकारी

सतर्कता समिति सदस्यों हेतु अन्य कोई योग्यता निर्धारित न होने के बावजूद ग्रामसभाएं सतर्कता समिति के सदस्यों का चयन करते समय यह ध्यान रखेंगी कि सदस्यों की पृष्ठभूमि गैर आपराधिक हो, 65 से कम उम्र हो, शिक्षित हो और शिक्षक पालक संघ, महिला स्वसहायता समूह, आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के पालक का प्रतिनिधित्व हो सके.

4.1 उचित मूल्य दुकान के स्तर पर सतर्कता समिति गठन की प्रक्रिया

इस समिति का गठन राशन दुकान के तहत आने वाली सभी ग्राम सभाओं/नगरीय निकाय के द्वारा मिलकर होगा. समिति के गठन में सभी ग्राम सभा/नगरीय क्षेत्र में वार्ड का प्रतिनिधित्व होगा. सदस्यों का चयन हर ग्राम से समान प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा यानि हर गांव से समान संख्या में सदस्यों का चयन ग्रामसभा के जरिये होगा.

ग्राम पंचायत सचिव चयनित सदस्यों के नामों को सहायक/कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को सौपेंगे. सहायक/कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी[1] द्वारा परीक्षण के बाद किसी तरह की त्रुटि होने पर सूची को सुधार हेतु पंचायत सचिव को लौटाई जायेगी. सुधार के बाद कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी इन नामों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सौपेंगे और वो वेबसाइट में दर्ज करेंगे.

समिति के गठन की सूचना ग्राम पंचायत सदस्यों और दुकानदार को भी एसएमएस द्वारा दी जायेगी एवं शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लिखित में दी जायेगी.

ग्राम पंचायत की बैठक में भी समिति के गठन की सूचना दी जायेगी. साथ ही ग्राम पंचायत के सूचना बोर्ड और उचित मूल्य की दुकान पर समिति के बारे में निर्धारित प्रारूप में लिखा जायेगा.

4.2 समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा लेकिन चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल उनकी निर्वाचन अवधि तक ही होगा. यदि कोई सदस्य उस श्रेणी से अपात्र हो जाता है अथवा अन्य कहीं चला जाता है या मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर नए सदस्य को नामांकित करके संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे.

4.3 समिति की बैठक

सतर्कता समिति की हर माह बैठक आयोजित की जायेगी. बैठक आयोजन की सूचना सदस्य सचिव द्वारा सूचना पत्र एवं एसएमएस द्वारा सदस्यों को दी जायेगी और साफ्टवेयर में भी दर्ज की जायेगी.

- यथासंभव इस बैठक का आयोजन मंगलवार को किया जायेगा ताकि इस दिन आंगनबाड़ी में वितरित किये जाने वाले टेकहोम राशन[2] की देखरेख भी सदस्यों द्वारा हो सके.
- बैठक में कम से कम एक तिहाई सदस्यों को होना आवश्यक है.
- यदि समिति उचित समझती है तो ग्राम स्तरीय कर्मचारी – आंगनबाडी कार्यकर्ता, उचित मूल्य की दुकान विक्रेता, स्व-सहायता समूह अध्यक्ष/सचिव, शाला प्रमुख को आमंत्रित कर सकेगी.
- बैठक की कार्यवाही का विवरण सचिव द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसार लिखी जायगी एवं इसे सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा. कनिष्ठ/सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वारा इस जानकारी को साफ्टवेयर पर दर्ज किया जायेगा.
- सतर्कता समितियों की बैठक तथा पर्यवेक्षण में पाए गए बिंदुओं पर कार्रवाई कर प्रत्येक आगामी बैठकों में पालन प्रतिवेदन सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा.

[1] सहायक/कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नियुक्त ब्लाक स्तरीय अधिकारी हैं जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.

[2] आंगनवाड़ी द्वारा 3 साल से छोटे बच्चों, कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को दिया जाने वाला पोषक आहार का पैकेट

4.4 सतर्कता समिति को उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी

- राज्य शासन द्वारा जैसे ही आवंटन आदेश जारी होता है स्वतः एसएमएस द्वारा जानकारी समिति सदस्यों को पहुँच जायेगी.
- मध्यप्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा खाद्यान्न भेजने के लिए वाहन रवाना होते ही खाद्यान्न की मात्रा एवं वाहन नंबर समिति सदस्यों को भेजी जायेगी.
- आंगनवाड़ी द्वारा टेकहोम राशन तथा पोषण आहार दिये जाने वाले आवंटन की जानकारी समिति सदस्य और सचिव को दी जायेगी.
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मध्यान्ह भोजन हेतु दिये गए खाद्यान्न आवंटन एवं राशि की जानकारी समिति सदस्यों को निर्धारित व्यवस्था अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी.

4.5 समिति के कार्य

- खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल योजनाओं का तीन सदस्यीय टीम के रूप में निरीक्षण करना
- अधिनियम के क्रियान्वयन में अनिमितताओं के सम्बन्ध में जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करना.
- ये समितियां योजनाओं की देखरेख करेंगी और यदि ये समिति पाती है कि कहीं अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन हुआ है या गबन की जानकारी मिलती है तो शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचित करेंगी.
- सदस्य सचिव द्वारा निरीक्षण के बिंदुओं को पोर्टल में दर्ज किया जायेगा.

4.6 समिति द्वारा देखरेख के बिंदु

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को रियायती कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण
- गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए आंगनबाडी के माध्यम से दिये जाने वाले निशुल्क भोजन का वितरण
- मातृत्व लाभ सहायता मिलना
- स्थानीय आंगनबाडी के माध्यम से पोषाहार का वितरण
- शालाओं के माध्यम से बच्चों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन का वितरण
- बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन हेतु चिन्हित कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन की योजना
- भोजन का अधिकार न मिलने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता[3] की प्राप्ति
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सही चिन्हांकन
- राशनकार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम को दर्ज करने की व्यवस्था

[3] खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन न मिलने, स्कूल में मध्यान्ह भोजन न मिलने तथा आंगनवाड़ी से पोषण आहार न मिलने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए मिलने वाली राशि

दो - शिकायत निवारण व्यवस्था

उचित मूल्य दुकान स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था

सतर्कता समिति द्वारा किये गए देखरेख उपरांत समस्त जानकारी सदस्य सचिव द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जायेगी, जिसे विभागीय बेबसाइट पर देखा जा सकेगा.

उचित मूल्य की दुकान स्तरीय सतर्कता समितियों की बैठक तथा कार्यव्यवस्था में पाए गए बिंदुओं पर कार्यवाही एवं क्रियान्वयन में दिक्कतों को अवगत कराने का प्राथमिक दायित्व सदस्य सचिव (ग्राम पंचायत सचिव) का है. सदस्य सचिव द्वारा पालन हेतु निम्न कार्यवाही की जायेगी –

क्र	समस्याओं का विवरण	उत्तरदायित्व
1.	• पूर्ण खाद्यान्न न मिलना अथवा उचित मूल्य दूकान का न खुलना.	सहायक/आपूर्ति अधिकारी
2.	• गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नि:शुल्क भोजन से पोषण समर्थन न मिलना. • छह महीने की आयु से कम के बच्चों के लिए स्तनपान का न मिलना. • छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को उपयुक्त भोजन न मिलना. • किशोरी बालिकाओं को उपयुक्त भोजन न मिलना. • चिन्हित कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त भोजन न मिलना. • शाला में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध न होना.	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/ विकासखण्ड महिला बाल विकास अधिकारी
3.	मातृत्व लाभ सहायता (ऐसी समस्त योजनायें जो सुरक्षित मातृत्व में सहायक है)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
4.	• शालाओं के माध्यम से बच्चों (6-14 वर्ष) को पोषाहार का समर्थन एवं एक वार का दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) न मिलना. • आंगनबाड़ी और शालाओं में रसोई में भोजन पकाने संबंधी व्यवस्था न मिलना. • शाला में स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता की सुविधा न मिलना.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5.	• खाद्यान्न/ भोजन का अधिकार न मिलना .०.	कलेक्टर
6.	• अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवारों का सही चिन्हांकन न होना. • खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाओं की ग्राम स्तर पर उपलब्धता न होना.	ग्राम पंचायत
7.	• राशनकार्ड में मुखिया के रूप में महिलाओं के नाम का दर्ज न होना	ग्राम पंचायत

(क्रमांक एफ 7-21/2017/29-1, 15 फ़रवरी 2018, 7 जून 2018 मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय परिपत्र क्रमांक 1 और 2)

जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों का निराकरण

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सबको खाद्य सुरक्षा मिल सके, इसके लिए बाहरी शिकायत निवारण व्यवस्था के पहले स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गयी है. राज्य शासन की अनुमति से कलेक्टर के द्वारा अपर कलेक्टर को भी जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

1. जिला शिकायत निवारण अधिकारी की ज़िम्मेदारी

- तय की गई प्रक्रिया के अनुसार शिकायतों को दर्ज करना एवं निश्चित समय-सीमा में निदान
- सतर्कता समितियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में प्राप्त शिकायतों, अनियमितताओं, गबन आदि की सूचना पर जांच कराकर कार्यवाही करना और अन्य खाद्य सुरक्षा लाभ पहुँचाने में बाधक बिंदुओं की सुनवाई करना एवं निराकरण करना
- हर माह निर्धारित प्रारूप में संचालक/आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को प्रतिवेदन भेजना एवं बाहरी शिकायत निवारण तंत्र की गतिविधियों का प्रचार – प्रसार करना

2. शिकायत निवारण की प्रक्रिया

- संचालक/आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के द्वारा जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) के कार्यालय में शिकायत पंजीयन एवं निवारण हेतु मध्यप्रदेश एनएफएसए पोर्टल पर व्यवस्था बनाई जायेगी जिसमें शिकायतों का श्रेणीकरण किया जायेगा.

3. शिकायत संधारण

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी (डीजीआरओ) की सहायता के लिए कलेक्टर कार्यालय में खाद्य शाखा में पदस्थ कर्मचारी को रीडर के रूप में नामित किया जायेगा जो अपने दायित्व के साथ ही डीजीआरओ के रीडर के रूप में भी दायित्व निभाएगा.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत पेटी की स्थापना की जायेगी.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी का ईमेल आई-डी जिले के प्रथम तीन अक्षर (@..) के साथ शुरू किया जायेगा.
- – पर हर शिकायत का पंजीयन नोडल अधिकारी के माध्यम से आनलाइन किया जायेगा. पंजीयन की प्रणाली वही होगी जिस तरह से राजस्व मामलों में न्यायालयीन मामले दर्ज होते हैं जैसे – (सरल क्रमांक)/श्रेणी/वर्ष/---आदि.

4. शिकायत पंजीयन

- कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हक नहीं मिल रहा हो, जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में या ईमेल (@..) के माध्यम से शिकायत कर सकेगा.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय में स्थापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पेटी में अपनी शिकायत डाल सकेगा.
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पोर्टल पर आनलाइन शिकायत तंत्र में सतर्कता समितियों द्वारा कार्यवाही विवरण में दर्ज अनियमितताएं स्वतः पोर्टल में पंजीकृत हो जाएँगी.
- शिकायतकर्ता को खुद घोषणा करना होगी कि "मेरे द्वारा दी जा रही शिकायत तथ्यों की सत्यता को ध्यान में रखते हुए की जा रही है एवं शिकायत के तथ्यहीन पाए जाने पर स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूंगी.
- हर कार्यदिवस में शाम को 4 बजे शिकायत पेटी अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खुलवाई जायेगी एवं शिकायत पेटी और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को आनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा.
- शिकायत को दर्ज करने के बाद उसकी पावती एसएमएस अथवा स्वतः ईमेल के माध्यम से शिकायतकर्ता व्यक्ति को दी जायेगी.
- अगले कार्यदिवस में समस्त शिकायतों की रिपोर्ट संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार संकलित कर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को भेजी जायेगी.

5. शिकायत निवारण की प्रक्रिया

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के नियम 7 के तहत बनायीं गयी व्यवस्था के अनुसार अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत शिकायतों का निराकरण किया जायेगा.
- हर शिकायत को दर्ज करके सबसे पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि शिकायत पहली नजर में उपयुक्त है या नहीं. उपयुक्त नहीं पाए जाने पर शिकायत नस्तीबद्ध कर दी जायेगी और शिकायतकर्ता को सूचित कर दिया जायेगा. उपयुक्त या सारगर्भित शिकायत पाए जाने पर आगामी कार्यवाही शुरू की जायेगी.
- किसी भी गुमनाम या बिना नाम के प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जायेगी, किन्तु यदि कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत गोपनीय रखने का अनुरोध करता है तो शिकायत पर विचार करते हुए आगमी कार्यवाही शुरू की जायेगी.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही के लिए उपयुक्त पायी गयी शिकायतों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसार शक्तियों के तहत शिकायत में उल्लेखित अधिकारी/व्यक्ति/एजेंसी से सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख सहित स्पष्टीकरण मांगेगा. स्पष्टीकरण या दस्तावेज/साक्ष्य के लिए समय मांगे जाने पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा एक बार के लिए उपयुक्त पाये जाने पर समय दिया जा सकेगा. यदि अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध उपयुक्त नहीं है तो आवेदन प्राप्त होने के दिन ही आवेदन अमान्य करने की सूचना देते हुए शिकायत पर आगामी कार्यवाही की जायेगी.

- यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा जानबूझकर स्पष्टीकरण या दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा संबंधित के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 33 और 34 के तहत दंड देने की कार्यवाही हेतु राज्य खाद्य आयोग को लिख सकेगा.

6. शिकायत की जाँच एवं निर्णय

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति/एजेंसी से प्राप्त स्पष्टीकरण उपयुक्त न होने अथवा अपर्याप्त साक्ष्य की दशा में शिकायत की उस सक्षम अधिकारी से जाँच कराई जायेगी, जो उस शिकायत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ न हो.
- जाँच अधिकारी के द्वारा जाँच के दौरान अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों के अनुसार प्रवेश, तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही की जा सकेगी.
- जांचकर्ता अधिकारी शिकायत की जाँच के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता यथासंभव जाँच के समय मौजूद हो (केवल नाम गोपनीय रखने के अनुरोध के मामलों को छोड़कर). यदि किन्हीं कारण वश शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है तो संबंधित साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त करके बयान अनिवार्यतः दर्ज कराये जायेंगे.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत में प्राप्त स्पष्टीकरण/ जाँच प्रतिवेदन तथा उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों के आधार पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्धारित समयसीमा के अंदर शिकायत पर निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया जायेगा.
- यदि प्रकरण में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अथवा शिकायत से संबंधित अधिकारी/व्यक्ति/एजेंसी प्रतिनिधि तय की गयी तारीख पर बिना उपयुक्त कारण के अनुपस्थित रहता है या जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करता है तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत को निरस्त करने या मामले में एकतरफा आदेश करते हुए शिकायत का निवारण कर सकेगा.
- पर किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी द्वारा किये गए दावे/ शिकायत के निवारण के पूर्व जिला शिकायत निवारण अधिकारी, अपरिहार्य घटना (युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, भूकंप, चक्रवात) में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निराकरण करेगा.
- यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की राय में शिकायत का निवारण करने में अधिक समय लगना संभावित है तो शिकायतकर्ता को एक अंतरिम उत्तर देरी के कारणों को लिखते हुए भेजा जायेगा.
- मामले के निराकरण किये जाने के बाद शिकायतकर्ता को भी की गयी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं मामले के अंतिम निराकरण किये जाने के बाद प्रकरण के संबंध में जानकारी पोर्टल पर नवीनीकृत की जायेगी और अभिलेख निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नस्ती रिकार्ड रूम में भेज दिया जाएगा.

7. शिकायत के निराकरण की समय-सीमा

जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायत के निराकरण के लिए समय-सीमा मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2017 के अनुसार होगी. शिकायत के निराकरण की समय-सीमा की गणना शिकायत प्राप्ति के दिनांक से की जाएगी. शिकायत निवारण से संबंधित कार्यों का कार्यवार विवरण एवं समय-सीमा निम्नानुसार हैं :-

क्र	कार्य का विवरण	अधिकतम-समय सीमा दिवस (शिकायत प्राप्ति से)
1	शिकायत की प्राप्ति एवं पंजीयन	01 दिवस
2	शिकायत की प्रारंभिक जाँच - पड़ताल यथा- ➢ शिकायत में सार तत्व नहीं होने पर अमान्य करके सूचित करना ➢ शिकायत में सार तत्व पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण/दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए भेजना :	03 दिवस
3	शिकायत में प्राप्त स्पष्टीकरण/दस्तावेज की जाँच - पड़ताल कर शिकायत के सही अथवा गलत पाए जाने के संबंध में निर्णय लेना यथा – ➢ शिकायत सही पाए जाने पर पर्याप्त साक्ष्य होने पर आदेश पारित कर कार्यवाही करना ➢ शिकायत में जांच की आवश्यकता पाए जाने पर जांच-कर प्रतिवेदन देने का आदेश किया जाना .	17 दिवस 20 दिवस
4	जांच अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन का परीक्षण एवं निर्णय की कार्यवाही यथा- ➢ प्रतिवेदन के आधार पर अन्य कोई साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उसे प्राप्त करना तथा निर्णय लिया जाना ➢ यदि प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाना है तो आदेश की कार्यवाही की जाना	30 दिवस 40 दिवस
5	शिकायत में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही यथा - निर्णय से शिकायतकर्ता को सूचित करना.	45 दिवस

8. अपील

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 की धारा 15 (5) के अधीन मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के अध्याय 4 के नियम 10 अनुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई भी शिकायतकर्ता अथवा कोई भी व्यक्ति/एजेंसी, आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील दर्ज कर सकेगा.

9. सूचना एवं निगरानी

जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निम्न स्थानों में अनिवार्यतः सूचनाएं जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा –

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी कार्यालय

- समस्त स्थानीय निकाय कार्यालय – ग्राम पंचायत, जनपद कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय एवं नगर पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम के कार्यालय
- समस्त राजस्व कार्यालय – जिला, तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन से जुड़े मुख्य विभाग – खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालय
- उचित मूल्य दुकान, शासकीय विद्यालय, आंगनवाड़ी एवं अन्य सार्वजनिक स्थान

(क्रमांक एफ 7-12 (3-3)/2018/29-1 दिनांक 28 अगस्त 2018, मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय परिपत्र क्रमांक 5)

राज्य खाद्य आयोग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बनायी गयी व्यवस्था की निगरानी और मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है. इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होगें.
जिनमें दो महिलाएं, एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य अनिवार्य रूप से होंगे

आयोग के अधिकार एवं कर्तव्य

- मध्यप्रदेश में अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करना
- स्वप्रेरणा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करना
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशो के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना
- वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

शिकायत एवं अपील दर्ज करने की प्रक्रिया और निराकरण

- शिकायत अथवा जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर, रजिस्टर्ड डाक या किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए की जा सकती है

मध्यप्रदेश में शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नंबर (जिसे लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।) 1967 तय किया है.

- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर की जा सकेगी.
- शिकायत प्राप्त होने पर आयोग जिला शिकायत निवारण अधिकारी से सम्बंधित दस्तावेज और उस पर रिपोर्ट मंगाएगा जिसे पन्द्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा.
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की दशा में आयोग दोनों पक्षों को स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिये बुला सकता है.
- आयोग द्वारा तय की गयी सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखना अनिवार्य है
- ऐसा करने में असफल रहने की दशा में आयोग अपने विवेक के आधार पर या तो प्रकरण को ख़ारिज करेगा अथवा एक पक्षीय जाँच करेगा.
- आयोग अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवस के भीतर निर्णय देगा. यदि खाद्य आयोग की

यह राय है कि अपील का निराकरण करने में तीस दिन से अधिक समय की आवश्यकता है तो अपीलार्थी को देरी के कारणों को दर्शाते हुए एक अंतिम उत्तर भेजा जाएगा.

- खाद्य आयोग, आदेश की प्रतियाँ संबंधित पक्षकारों को आदेश पारित होने के पन्द्रह दिन के भीतर उपलब्ध करने की व्यवस्था करेगा.

खाद्य आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां

- किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना.
- किसी दस्तावेज का पेश किया जाना एवं शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति माँगना, साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना
- खाद्य आयोग को किसी मामले को उसका विचरण करने की, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने की शक्ति होगी और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा मामला अग्रेषित किया जाता है अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद की उसी प्रकार सुनवाई करेगा मानो वह मामला दण्ड प्रक्रिया सहित 1973 की धारा 386 के अधीन उसको अग्रेषित किया गया है |

संपर्क पता

राज्य खाद्य आयोग,
अपर बेसमेंट, बी बिंग, सतपुड़ा भवन भोपाल (मध्यप्रदेश)

तीन - लोक सेवा गारंटी

मध्यप्रदेश लोकसेवा गारंटी अधिनियम-2010 की धारा 3 के तहत अधिसूचना क्रमांक ऍफ़ -2 13 2012 इकसठ, लोसे.प्र.पीएसजी 9, 10 अप्रैल 2013 में संशोधन करते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाओं को भी लोकसेवा प्रबंधन के तहत निम्नानुसार समय-सीमा निर्धारित की गयी है –

क्र.	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की सीमा	दितीय अपील पदाधिकारी का पदनाम
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 20 13 के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी करना	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी	15 कार्यदिवस	ग्रमीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 20 13 के तहत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी करना	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी	15 कार्यदिवस	ग्रमीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर
3	सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न, शकर एवं केरोसिन नहीं मिलने पर पात्रता अनुसार दिलवाया जाना	सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	15 कार्य दिवस	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर
4	पात्रता पर्ची में नाम सुधार एवं नाम जोड़ना	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी	15 कार्य दिवस	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर
5	पात्रता पर्ची में नाम काटना एवं पता परिवर्तन	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी	15 कार्य दिवस	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर
6	पात्रता पर्ची का स्थानांतर	स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी	15 कार्य दिवस	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्रों में जिला आपूर्ति अधिकारी	21 कार्यदिवस	कलेक्टर

चार - सूचना का अधिकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित समस्त जानकारी सूचना के अधिकार के दायरे के अंतर्गत है. इस अधिनियम से संबंधित जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पोर्टल ***nfsa.samagra.gov.in*** पर प्रदर्शित की गयी हैं.

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभागों (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग) के ब्लाक, जिला, संभाग एवं राज्य कार्यालयों, स्कूल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकान तथा स्थानीय निकायों के कार्यालयों आदि से संबंधित जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत जानकारी (पात्रता सूची, राशन का वितरण, मध्यान्ह भोजन वितरण, आंगनवाड़ी में गर्म पका भोजन के वितरण, टेक होम राशन का वितरण, मातृत्व वंदना योजना में प्राप्त लाभ आदि) प्राप्त की जा सकती है.